विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002

जुलाई, 2012

सार्वजनिक सूचना

विषयः– आई0आई0पी0एम0 के अमान्य दर्जे के बारे में

सर्वसाधारण एवं समस्त छात्र–छात्राओं को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट (आई0आई0पी0एम0) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 की धारा 2 (एफ) की परिभाषा के अंतर्गत कोई विश्वविद्यालय नहीं है। यह भी ज्ञात रहे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार आई0आई0पी0एम0 को उपाधि देने अथवा डिग्री प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 (3) में स्पष्ट रुप से दर्शाया गया है। सूचना हेतु यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आई0आई0पी0एम0 को न तो एम0बी0ए0/बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 डिग्रियाँ प्रदान करने का अधिकार है और न ही यह संस्था यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त है।

आम जनता तथा विद्यार्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि केवल ऐसे विश्वविद्यालय ही जो कि या तो केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या फिर राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किये गए हों या ऐसे संस्थान जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, *या ऐसी संस्था जो विशेषकर पार्लियामेन्ट अधिनियम द्वारा अधिकृत हो,* केवल वही डिग्रियाँ प्रदान कर सकते है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 (3) के अतंर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उल्लिखित की गई है। सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्रियों की एक सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट (www.ugc.ac.in) पर उपलब्ध है।

सचिव